

संदर्भ: एपीडा/2021-22/01

दिनांक: 30 अप्रैल, 2021

कार्यालय-आदेश

एपीडा द्वारा दिनांक 21/05/2021 को जारी एकीकृत एबेटॉयर सह मांस प्रसंस्करण संयंत्रों/मांस प्रसंस्करण संयंत्रों/ एबेटॉयर को पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए संशोधित प्रक्रिया में परिवर्तन करने के क्रम में, निम्नलिखित परिवर्तन वर्तमान तिथि अर्थात् 30/04/2021 से लागू होते हैं:

1. उपनियम संख्या 04.2: संयंत्र पंजीकरण प्रमाण-पत्र निर्गमन:

क. संयंत्र प्रमाण-पत्र जारी करने का समय दो दिनों से घटाकर एक दिन कर दिया गया है, बशर्ते कि उसमें उल्लिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

2. उपनियम संख्या 04.11: मांस इकाइयों का औचक/ यादृच्छिक निरीक्षण:

क. मांस इकाइयों के यादृच्छिक निरीक्षण की मात्रा को 10% से 5% घटा दिया गया है।

नियामक अनुपालन को कम करने के लिए उपरोक्त परिवर्तन लागू किए गए हैं।

उमेश कुमार
सहायक महाप्रबंधक